तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सांवतनाथ आदि बनाम बलराम आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर –362 / 2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

22-12-23

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं राज पैरोकार उपस्थित । प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के विरूद्ध पूर्व एकतरफा कार्यवाही आदेश दिए जा चुके है। प्रकरण मे उभय पक्ष बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुवे निवेदन किया गया की प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तहसील लूनकरनसर के ग्राम सहजरासर पटवार हल्का कुजटी के खसरा नम्बर 391 तादादी 7.12 हैक्टेयर कब्जे एवं दखल में स्थित है। उपरोक्त खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 391 के पूर्व दिशा में स्थित खसरा नम्बर 394 से पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 4070 मे गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत एवं स्थित है। उक्त रास्ता से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 394 की उत्तर दिशा की सींव से पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 391 में प्रवेश कर अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि में आवागमन करते चले आ रहे है। प्रार्थीग्ण के खेत मे आने–जाने का उपरोक्त रास्ता नजदीक एवं सुविधा जनक है इसके अलावा अन्य कोई सुविधा जनक एवं वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते हेतु प्रतिकर राशि देने को तैयार है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त भूमि मे प्रार्थीगण के अवागमन हेतु अप्रार्थीगण 1 व 2 की खातेदारी भूमि मौजा रोही सहजरासर के खसरा नम्बर 394 की उत्तर दिशा की सींव पर चौडाई में 5 मीटर व लम्बाई जितनी स्वीकृत रास्ता से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 394 तक हो (लगभग 160 मीटर) उतनी लम्बाई का रास्ता पूर्व से पश्चिम दिशा में नियमानुसार गैर मुमकिन रास्ते के नाम स्वीकृत करने एवं राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने के आदेश प्रदान किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में शामिल जमाबन्दी ग्राम सहजरासर संवत् 2077–80 खाता संख्या 689 खसरा नम्बर 391 तादादी 7.12 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 730 खसरा नम्बर 394 तादादी 2.92 हैक्टेयर । पत्रावली संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट पटवारी नजरी नक्शा का अवलोकन किया । मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि तक पहुंच हेतु खसरा नम्बर 394 के उत्तरी सींव से लगते रास्ता दिया जाना उचित की रिपोर्ट प्राप्त है।

राज पैरोकार द्वारा रास्ता नियमानुसार स्वीकृत करने बाबत सहमति दी ।

हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी एवं दस्तावेजो से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि मे आने–जाने हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत खेत तक पहुंच मार्ग हेतु प्रावधान किये गये है। अतः प्रस्तुत बहस एवं दस्तावेजो के आधार पर उक्त वांछित रास्ता नियमानुसार उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त भूमि मे प्रार्थीगण के अवागमन हेतु अप्रार्थीगण 1 व 2 की खातेदारी भूमि मौजा रोही सहजरासर के खसरा नम्बर 394 की उत्तर दिशा की सींव पर चौडाई में 5 मीटर व लम्बाई जितनी स्वीकृत रास्ता से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 394 तक हो (लगभग 160 मीटर) उतनी लम्बाई का रास्ता पूर्व से पश्चिम दिशा में नियमानुसार गैर मुमकिन रास्ते के नाम स्वीकृत किया जाता है । तदानुसार रास्ता का राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22/12/2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर